

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ ।
पत्रांक संख्या- 2952/तीन-17/शि०का०लख०/2024 दिनांक: 06 सितम्बर, 2024

::कार्यालय आदेशः

उत्तर प्रदेश प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के अधीन ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के संबंध में शासन के पत्र संख्या-757/94-स्टा०नि०-2-19-500 (97)/08टी०सी० दिनांक 04.11.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (C.R.A.) के मध्य निष्पादित ई-स्टाम्प अनुबन्ध दिनांक 05.12.2019 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (C.R.A.) को शासन के पत्र संख्या-1131/94-स्टा० नि०-2-2024-700(299)/2017 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक: RBI/2017-18/110 DBR.No.Leg.BC.98/ 09.08.019/2017-18 Dec 19, 2017 में उल्लिखित पंजीकृत एक मात्र इन्फार्मेशन यूटीलिटी केन्द्र सरकार की कम्पनी एन०ई०एस०एल० तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (स्टेट टैक्सेस-1 सेक्शन), भारत सरकार के राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र S-33013/04/2019-ST-1-DoR दिनांक 30.06.2020 प्रदत्त निर्देशों के अधीन National e-Governance Services Limited (NeSL)/ Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) के प्लेटफार्म पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्नलिखित डिजिटली निष्पादित होने वाले लेखपत्रों पर डिजिटल ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (C.R.A.) द्वारा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सभी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र के संबंध में ई-स्टाम्प हेतु अनुबन्ध दिनांक 05.12.2019 के अनुसार निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। डिजिटली निष्पादित होने वाले लेखपत्रों पर डिजिटल ई-स्टाम्पिंग निष्पादन तिथि पर अथवा उसके पूर्व ही की जायेगी।

क्र० सं०	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची 1-ख से अनुच्छेद क्रमांक	अनुच्छेद का वर्णन
1	4- Affidavit is required by banks in the case of loan products such as gold loans, education loans, auto loans where the property owner declares the said property is free from encumbrance, the details provided are correct, any further change in status of property will be informed to bank immediately as and when it happens etc.	शपथ पत्र
2	48- Power of Attorney in favour of bank is required for account opening for home loans, top-up home loans, hypothecation and pledge related loan products wherein the borrower authorizes the bank to act on his/her behalf in case of default	पावर ऑफ अटार्नी

उपर्युक्त प्रदत्त अनुमति के क्रम में स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड संस्था को निर्देशित किया जाता है, कि डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय। साथ ही डिजिटली स्टाम्पित लेखपत्रों के संबंध में उचित स्टाम्प के परीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों को अपने पोर्टल पर access प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।


(डॉ० रुपेश कुमार)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 07/08

पत्रांक संख्या- 2952 /तीन-17/शि०का०लख०/2024

दिनांक: 06 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. श्रीमती ई. पी. निवेदिता, कार्यकारी निदेशक, National e-Governance Services Limited (NeSL) (Email: niveditaep@nesl.co.in)
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, प्रयागराज।
7. आन्तरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ, पूर्वी/पश्चिमी।
8. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
10. श्री मनुराज राय, क्षेत्रीय प्रमुख स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
11. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल


(डॉ० रुपेश कुमार)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 07/08